



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



Date: 14/06/24

RPCB/RO NGR/PUB-15/ 1046-50

M/s Ambuja Cement Limited,
Marwar Mundawa,
Tehsil- Mundawa, District- Nagaur (Raj.)

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for "Proposed 3D2 Limestone Block (Auctioned Block) (Area: 434.08502 Ha) with proposed Limestone Production Capacity 3.0 Million TPA, OB/waste 1.15 Million TPA, Top Soil 0.34 Million TPA, (Total Excavation 4.49 Million TPA) along with Installation of Crusher (2000 TPH) with Wobbler at Villages: Harima & Sarasani, Tehsil and District: Nagaur (Raj.) Applied by M/s Ambuja Cement Limited (Unit: Marwar Mundwa)."

- Ref.:- 1. Letter no. 3841 dated 13.06.2024 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no. 2660 dated 14.03.2024.
3. ToR Issued by MOEF&CC, File No. IA-J-11015/42/2023-IA-II(NCM) Dated 08-01-2024.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 3841 dated 13.06.2024 in which public hearing has been finalized on dated 24.07.2024 at 01.00 PM.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 22.06.2024. The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Govt Upper Primary School, Harima, Tehsil- Nagaur, District-Nagaur At 01.00 PM on 24.07.2024 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,
(Sachin Kumar)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 3841 dated 13.06.2024
3. The Additional District Magistrate, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



क्रमांक:- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-15/1846-50

दिनांक: 14/6/24

पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तावित 3डी2 चूना पत्थर ब्लॉक परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "प्रस्तावित 3डी2 चूना पत्थर ब्लॉक (निलामी ब्लॉक) परियोजना आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, लाईम क्षेत्र- 434.08502 हेक्टेयर, अनुमानित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओबी/अपशिष्ट के साथ 1.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष, शीर्ष मृदा 0.34 मिलियन टन प्रतिवर्ष कुल उत्खनन 4.49 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर की स्थापना के साथ (2000 टीपीएच) वॉबलर के साथ, गांव-हरिमा और सरासनी, तहसील-नागौर, जिला-नागौर) से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक प्रस्तावित 3डी2 चूना पत्थर ब्लॉक परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, नागौर।
 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना जूंगरी, जयपुर।
 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 6. उपखण्ड अधिकारी, नागौर।
 7. तहसीलदार, नागौर।
 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 10. ग्राम पंचायत, हरिमा।
 11. राजकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिमा, तहसील- नागौर, जिला-नागौर।
 12. बी.डी.ओ. नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/3841 दिनांक 13.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.07.2024 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिमा, तहसील-नागौर, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(सचिन कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी